

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना तहबरपुर

तीन शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 02 मोटरसाईकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 25.06.2021 को व030नि0 बसन्तलाल मय हमराह कर्म0गण का0 अखिलेश शाह, का0 रजनीश कुमार, का0 विनोद गुप्ता के थाना स्थानीय से प्रस्थानित होकर देखभाल क्षेत्र तलाश वारण्टी में मंझारी बाजार में मामूर थे, कि उसी समय जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम मखदूमपुर में कुछ नये लड़के इस समय वाहन चोरी करके उस कुछ दिन अपने पास छिपा कर रखने के बाद उसे बेच देने का कार्य कर रहे है , इस कार्य में अभ्यस्थ हो चुके हैं। कुछ देर के पश्चात चोरी की मोटर साइकिल से तीन लड़के जिनका नाम सन्दीप राजभर, इरेन्द्र राजभर, व रवि राजभर है। अपने घर से जनईगंज बाजार में आने वाले है। किसी से वाहन की बिक्री करने के सन्दर्भ में बातचीत करेंगे। मुखबिर की सूचना से पुलिस टीम मुखबिर को साथ लेकर ग्राम ओहनी में स्थित पूर्वांचल ए0सिक्सलेन अण्डर पास के नीचे पहुंचकर संदिग्ध वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाने लगी कुछ समय पश्चात एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्ति ग्राम मखदूमपुर की तरफ से आते हुए दिखाई दिये , मुखबिर द्वारा इशारे से बताया गया कि यही तीनों व्यक्ति वाहन चोर हैं और धीरे से पीछे मुड़कर चला गया। वाहन सवारों को नजदीक आने पर रोकने की कोशिश की गयी तो तेजी से वाहन को मोड़ कर पीछे की तरफ भागने का प्रयास करने लगे कि लड़खड़ा कर मोटर साइकिल सहित गिर गये, पुनः उठ कर भागने लगे कि आवश्यक बल का प्रयोग करके सिक्सलेन अण्डर पास के नीचे ही तीनों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम क्रमशः सन्दीप राजभर S/O विनोद राजभर दूसरे ने अपना नाम इरेन्द्र राजभर s/o चन्द्रबली राजभर तीसरे ने अपना नाम रवि राजभर s/o विष्णुदेव राजभर निवासीगण ग्राम मखदूमपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये अपराधियों से वाहन मो0सा0 के बारे पूछा गया तो बताये कि साहब यह मो0सा0 चोरी की है। इसका कागजात हम लोगों के पास नहीं है। इस गाड़ी को हम लोग मिलकर दिनांक 17.2.21 को दुर्बासा मन्दिर के पास से चोरी किये हैं। नम्बर हटाकर इस गाड़ी का अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे। आज इसे एक व्यक्ति खरीदने के लिए मन्झारी बाजार के पहले जनईगंज के पास आने वाला था। उसी से बेचने के लिए बातचीत करने जा रहा था। कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। वाहन के आगे पीछे देखा गया तो नम्बर प्लेट लगा हुआ नहीं पाया गया वाहन हीरो मो0सा0 HF डिलक्स रंग काला जिसका चे0नं0 MBLHAR236H9A08920 इं0नं0 HA11ENH9A16330 लिखा हुआ पाया गया तत्पश्चात पुनः कड़ाई से पूछताछ करने पर सन्दीप राजभर उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वाहन (मो0सा0) चोरी करके कुछ दिन छिपाकर रखने के बाद बेचने का काम हम लोग मिलकर करते हैं तथा यह भी बताये कि साहब मेरे घर पर एक मो0सा0 चोरी की मन्डई में छिपाकर रखी गई है। घर चलकर उस मो0सा0 को भी दे सकता हूँ। सन्दीप, इरेन्द्र तथा रवि को साथ लेकर सन्दीप के घर पहुंचे तो सन्दीप ने अपने घर के बाएं तरफ स्थित मन्डई में से चद्दर से ढकी हुई एक मो0सा0 पेशन प्रो रंग काला जिसका इं0नं0 HA10ENDGF03478 चे0नं0 MBLHA10AWCF2 आगे का नम्बर पढा नहीं जा रहा है। अंकित होना पाया गया। वाहन किस स्थान से चोरी किया गया है। उसके बारे में पूछे जाने पर बताये कि साहब स्थान का नाम हम लोगो को नहीं पता है। अहरौला के आगे से इसे चोरी किया गया था। छिपाकर बेचने के लिए रखे थे सन्दीप द्वारा बताया गया कि साहब चोरी करने के पश्चात चोरी किये गये वाहनों को मैं अपने घर में रखता था तीनों एक साथ मिलकर चोरी करते है। बिक्री होने पर बराबर – बराबर हिस्सा हम लोग ले लेते है। गलती हो गयी है हम लोगो को माफ करें। अभियुक्तगण का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 41/411, 413, 414 भादवि का दण्डनीय अपराध है। कारण गिरफ्तारी बताते

हुये वाजाफ्ता बकायदा 10.20 AM बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 47/21 धारा 41,411,413,414, भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सन्दीप राजभर पुत्र विनोद राजभर
2. इरेन्द्र राजभर पुत्र चन्द्रबली राजभर
3. रवि राजभर पुत्र विष्णुदेव राजभर निवासी गण मखदूमपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. मो0सा0 HF डिलक्स
2. मो0सा0 पैशन प्रो

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 बसन्त लाल
2. का0 विनोद गुप्ता
3. का0 रजनीश कुमार
4. का0 अखिलेश साह
5. का0 सर्वेश कुमार

थाना- महाराजगंज

गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दि0 25.06.21 को नि0अ0 विमलेश मौर्या मय हमराह हे0का0 समेरिका यादव , हे0का0 अजय सिंह , का0 सुबाषचन्द यादव , का0 अरविन्द यादव , रि0का0 शुभम कुमार , म0का0 मधुबाला यादव , म0का0 खुशबू सिंह के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, क्षेत्र गस्त तथा पेंडिंग विवेचना व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी व जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 65/21 धारा 307 , 419, 420, 467, 468, IPC व 3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. लालपत S/O स्व0 रेंगई, 2. श्रीपत S/O रेंगई निवासीगण कोलमोदीपुर PS महाराजगंज आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है , मुखबीर खास की सूचना पर निरीक्षक तत्काल कर्मचारी गण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते उनके घर पर आये , मुखबिर खास दूर से ही घर के बाहर खड़े दो व्यक्तियों की ओर इशारा करके हट बढ़ गया, पुलिस टीम एकबारगी दबिश देकर चारों तरफ से घेरकर उक्त दोनो व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछने पर पहले नें अपना नाम लालपत S/O स्व0 रेंगई व दूसरे ने अपना नाम श्रीपत S/O रेंगई निवासी ग्राम कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया। पकड़े गये अभियुक्तगण मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 307 , 419, 420, 467, 468, IPC व 3/5(क)/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त है। उपरोक्त अभियुक्तगणों को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 07.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 65/21 धारा 307 , 419, 420, 467, 468, IPC व 35(क)8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. लालपत S/O स्व0 रेंगई उम्र 50 वर्ष
2. श्रीपत S/O स्व0 रेंगई उम्र 40 वर्ष निवासीगण कोलमोदीपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में 0अ0 विमलेश मौर्या मय हमराह हे0का0 समेरिका यादव , हे0का0 अजय सिंह, का0 सुबाषचन्द यादव, का0 अरविन्द यादव, रि0का0 शुभम कुमार, म0का0 मधुबाला यादव, म0का0 खुशबू सिंह ।

थाना- अहरौला

छेडखानी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.06.21 को समय 23.00 बजे घटना स्थल पारा मे अभियुक्त बबलू राम पुत्र हीरालाल सा0 पारा थाना अहरौला , आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर मे घुसकर साड़ी उठाना /छे डखानी करना व गाली गलौज करना, मारना पीटना जिसके संबंध में 98/21 धारा 354 ख/323/504/452 दिनांक 22.06.21 पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रभातचन्द पाठक के द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में उ0नि0 प्रभात चन्द पाठकमय हमराह हे0का0 सुबाषचन्द यादव के मु0अ0सं0 98/2021 धारा 354 ख/323/504/452 भादवि की विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में मामुर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू राम पुत्र हीरालाल सा0 पारा थाना अहरौला , आजमगढ़ फूलवरिया बाजार मे कही जाने के फिराक मे है , मौजूद है कि इस सूचना पर उ0नि0 विश्वास करके मय हमराही के मय मुखबीर के फूलवरिया बाजार पहुँचे मुखबीर दूर से इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम एकबारगी दबिश देकर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 6.50 बजे पकड़ लिया । नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बबलू राम पुत्र हीरालाल सा0 पारा थाना अहरौला , आजमगढ़ बताया । गिरफ्तारशुदा उपरोक्त व्यक्ति थाना हाजा के मु0अ0सं0 98/2021 धारा 354 ख/323/504/452 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 98/2021 धारा 354 ख/323/504/452 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

बबलू राम पुत्र हीरालाल सा0 पारा थाना अहरौला , आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक, हे0का0 सुबाषचन्द यादव थाना अहरौला , आजमगढ़

थाना- अहरौला

2.1 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह , अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के तथा थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला के निर्देशन में उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.06.2021 को समय 21.30 बजे फूलवरिया बाजार से अभियुक्त दुष्यन्त उर्फ सप्पू पुत्र जगदीश प्रसाद सा0 कियावपुर थाना जैतपुर अम्बेडकर नगर को 2.1 किग्रा0 अबैध गांजा के साथ फूलवरिया बाजार से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/21 धारा 8/20 एनपीएस एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 99/21 धारा 8/20 एनपीएस एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

दुष्यन्त उर्फ सप्पू पुत्र जगदीश प्रसाद सा0 कियावपुर थाना जैतपुर अम्बेडकर नगर

बरामदगी-

बरामदगी 2.1 किग्रा0 नाजायज गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 जावेद अख्तर , उ0नि0 राजीव कुमार , का0 राकेश यादव , का0 संजीव कुमार यादव थाना अहरौला , आजमगढ़

थाना- अहरौला

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त साजन कुमार पुत्र राजेन्द्र सा0 बरईपुर थाना अहरौला ,आजमगढ़ द्वारा जबरजस्ती बालात्कार करना जिसके संबंध में मु0अ0सं0 73/20 धारा 376 भा.द.वि दिनांक 31.05.2020 पंजीकृत हुआ व दिनांक 14.07.2020 को ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी हुई। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह हे0का0 अरविन्द सिंह ,हे0का0 सत्येन्द्र यादव ,सका0 संदेश कुमार यादव , रि0का0 उमेश कुमार गौड़ , म0का0 दीपिका गुप्ता के मु0अ0सं0 73/20 धारा 376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट की विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में थाना हाजा से खाना होकर अभियुक्त को तलाश करते हुए मेहियापार बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त साजन कुमार पुत्र राजेन्द्र सा0 बरईपुर थाना अहरौला ,आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है कि इस सूचना पर थानाध्यक्ष विश्वास करके मय हमराही फोर्स के मय मुखबीर के बरईपुर पहुँचे मुखबीर दूर से इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम असनाय राह से एकबारगी दबिश देकर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 04.45 बजे पकड़ लिया। नाम पता पूछा गया तो साजन कुमार पुत्र राजेन्द्र सा0 बरईपुर थाना अहरौला ,आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारशुदा उपरोक्त व्यक्ति थाना हाजा के मु0अ0सं0 73/20 धारा 376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट में नामजद वांछित अभियुक्त है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 73/20 धारा 376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

साजन कुमार पुत्र राजेन्द्र सा0 बरईपुर थाना अहरौला ,आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह हे0का0 अरविन्द सिंह ,हे0का0 सत्येन्द्र यादव ,सका0 संदेश कुमार यादव , रि0का0 उमेश कुमार गौड़ , म0का0 दीपिका गुप्ता थाना अहरौला ,आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

भैंस चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

दिनांक 11.05.2021 को वादी मुकदमा श्री राममिलन पुत्र स्व0 वीरबली निवासी ग्राम सम्मोपुर खालसा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बाबत बीती रात 02.00 बजे के लगभग मैं अपने घर के बाहर दरवाजे पर सो रहा था कि मेरी पड़िया बोलने लगी जागकर देखा तो मेरी भैंस जो मेरे दरवाजे पर खुटें में बंधी हुई थी को घर के सामने नहर पटरी के किनारे बास खुट्टी के पास कुछ लोग चोरी से एक पिकअप पर भैंस को लाद रहे थे मौके पर शोर मचाते हुए पहुंचा तब तक मुझको गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगे जब तक मेरी आवाज सुनकर और लोग आते तब तक वह लोग पिकअप से भैंस को लेकर भाग गये पिकअप पर चार पांच व्यक्ति थे हम लोग गांव वालो के साथ मिलकर आसपास के गांवों में घुम फिरकर अपनी भैंस को तलाश कर रहे थे कि सुबह 7.30 बजे करीब श्यामनगर नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति दिखाई दिये जो रात में मेरी भैंस को चोरी से पिकअप पर लाद रहे थे मैंने पहचान कर उन लोगों को चिल्लाकर रोकने का प्रयास किया तो वह दोनो लोग भागने का प्रयास किया कि हम लोगो द्वारा मौके पर घेर मारकर पकड़ लिया गया तथा थाने पर लाया हूँ के सम्बन्ध मे दाखिल किये कि दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 52/21 धारा 379/504/506 भा0द0वि0 बनाम 1- मोहिम पुत्र दिलसेर 2. समसाद पुत्र इलताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व 02-03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। तथा विवेचना से अभियुक्त सुहेल अहमद पुत्र स्व 0 जैनुद्दीन R/O कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल निर्देशन में उ0नि0 संजय कुमार सिंह , SI राज कुमार तिवारी मय हमराह कां 0 अजीत यादव , कां0 शिवम सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2021 धारा 279/304/427 भा0द0वि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त सुहेल अहमद पुत्र स्व 0 जैनुद्दीन R/O कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मूखबीरी सूचना पर आज दिनांक 25.06.2021 को समय करीब 09.45 बजे ग्राम कोटिला से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के पास से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुहेल अहमद पुत्र स्व० जैनुद्दीन R/O कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 73/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 52/2021 धारा 379/504/506 भा०द०वि० थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० संजय कुमार सिंह, उ०नि० राज कुमार तिवारी, कां० अजीत यादव, कां० शिवम सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

जिला बदर से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना हाजा पर व०उ०नि० नवल किशोर सिंह द्वारा मु०अ०सं० 128/21 धारा 10 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधिनियम वावत जिला बदर अभियुक्त मु० गुड्डु पुत्र मु० अमिन निवासी ग्राम अबुसइदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ जो अपने घर पर जिला बदर की नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त निवास कर रहा था के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/ जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर के नेतृत्व में जिला बदर सम्बन्धी अभियुक्त मु० गुड्डु पुत्र मु० अमिन निवासी ग्राम अबुसइदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ जिसे श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन महोदय आदेश दिनांकित 17.04. 2021 से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था जिस आदेश तामिला अभियुक्त को करा दिया गया था। जिसका उल्लंघन कर अभियुक्त अपने घर पर मौजूद था को उ सके घर ग्राम अबुसइदपुर से कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 25.06.2021 को समय 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 128/21 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 128/21 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 140/17 धारा 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

मु० गुड्डु पुत्र मु० अमिन निवासी ग्राम अबुसइदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SSI नवल किशोर सिंह ,हे०का० इन्द्रपाल यादव का० विनोद प्रताप का० उदयभान गुप्ता, का० सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना दीदारगंज

वांछित अपहरणकर्ता गिरफ्तार

पीडिता को अभियुक्त सर्वेश S/O सवधू द्वारा दिनांक 19.12.2018 की शाम लगभग 5 बजे बहला फुसला कर भगा ले गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्त / जिला बदर / वारण्टीव अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 धनराज सिंह मय हमराह का0 मोनू यादव व का0 आशीष यादव का0 राजू गौड़ महिला आरक्षी अनामिका सिंह के रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की मु0अ0स0 229/18 धारा 363/366/120बी भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त सर्वेश पुत्र सबधू राम ग्राम वार्सेपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ सिसवारा मोड पर कही जाने के फिरक में साधन का इन्ताजर कर रहा है मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मौके से प्रस्थान कर सिसवारा मोड से कुछ पहले पहुची मुखबीर खास दूर से ईशारा करके हट बढ गया पुलिस टीम सिसवारा मोड पर पहुचकर वहा पर खडे व्यक्ति के पास पहुची तो उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर मौके से भागना चाहा की पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से उसे मौके पर ही पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सर्वेश पुत्र सबधू राम ग्राम वार्सेपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया , पकडा गया व्यक्ति उपरोक्त मु0अ0स0 229/18 धारा 363/366/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त है इस पर विश्वास कर समय करीब 7.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0स0 229/18 धारा 363/366/120बी भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सर्वेश पुत्र सबधू राम ग्राम वार्सेपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ।
- 2-उ0नि0 धनराज सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 3- का0 मोनू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 4- का0 आशीष यादव, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 5- का0 राजू गौड़ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
- 6- म0का0 अनामिका सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

पुलिस पार्टी पर फायर करने व ईट पत्थर से हमला करने,आगजनी करने वाले चार नफर अभियुक्त

गिरफ्तार

अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी पर कार्य सरकार मे बाँधा डालते हुए जान मारने की नियत से लाठी डण्डा ,राड धारदार हथियार ,कट्टा ,ईट पत्थर ,एवं पेट्रोल एवं आदि घातक अस्त्र शस्त्र से ललकारते हुए जान से मराने की नियत फायर करते हुए पथराव करना एवं वाहन को छतिग्रस्त करना कोविड -19 महामारी के नियमो व धारा 144 सीआरपीसी का उलन्घन करना एवं मौके पर भय व आतंक पैदा करना आगजनी करने के सम्बन्ध मे दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय मे मु 0अ0स0 99/21 धारा 147/148/149/323/504/506/427/341/332/353/436/336/307/186/188/269/270 भादवि व 7 सीएल एक्ट व धारा ¼ महामारी अधिनियम विरुद्ध 34 नामजद अभियुक्त व 150-200 अज्ञात अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 25.6.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0स0 99/2021 धारा 147/148/149/323/504/506/427/341/332/353/436/336/307/186/188/269/270 भादवि व 7 सीएल एक्ट व धारा ¼ महामारी अधिनियम से संबन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1. रामबली राम पुत्र बाबूनन्दन 2. प्रभुराम पुत्र पुरुषोत्तम राम 3. दलसिंगार पुत्र मोतीलाल राम 4.आनन्द कुमार पुत्र भरथे राम नि0गण ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 25.6.2021 को समय 08.45 बजे अभियुक्तगण को उनके घर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0

99/2021

धारा

147/148/149/323/504/506/427/341/332/353/436/336/307/186/188/269/270 भादवि व 7
सीएल एक्ट व धारा 3/4 महामारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रामबली राम पुत्र बाबूनन्दन
2. प्रभुराम पुत्र पुरुषोत्तम राम
3. दलसिंगार पुत्र मोतीलाल राम
4. आनन्द कुमार पुत्र भरथ राम नि0गण ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
2. हे0का0 ओमप्रकाश यादव
3. का0 मुकेश कुमार यादव
4. म0का0 रागिनी

थाना जहानागंज

पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी रमेश हरिजन पुत्र स्व0 सिकन्दर हरिजन सा0 सिही थाना जहानागंज उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बताकर बावत अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिला किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0स0 03/21 धारा 363 ,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट विरुद्ध पंकज पुत्र स्व0 राजकुमार सा0 सिही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 25.06.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0सं0 003/21 धारा 363/366/376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त -पंकज पुत्र स्व0 राजकुमार सा0 सिही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 9.30 बजे गिरफ्तार किया गया मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से धारा 376डी/506/427/323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

गिरफ्तार अभियुक्तः-

पंकज पुत्र स्व0 राजकुमार सा0 सिही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 विजय नरायण त्रिपाठी
2. का0 विनय कुमार यादव
3. का0 संदीप वर्मा

थाना कोतवाली

20 लाख रुपये का गबन करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्त तथा एक नफर जिलाबदर अभियुक्त व एक नफर अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी नगर जनपद आजमगढ़के कुशल नेतृत्व में मुझ प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग टीम गठित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में आज दिनांक 25. 06.21 को टीम द्वितीय थाना कोतवाली के व0उ0नि0 ब्रह्मदीन पाण्डेय , उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा मय हमराह कर्म0गण द्वारा मु.अ.स. 173/20 धारा 420/409 भादवि में वांछित चल रहे 1. विनोद कुमार पुत्र हीरालाल साकिन पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदुलारे साकिन पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को पल्हनी से 7 बजे गिरफ्तार किया।

2. टीम तृतीय थाना कोतवाली के उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा उपरोक्त अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 77/21 धारा 306 भादवि में वांछित अभियुक्त 1. विजय कुमार पुत्र रामचन्दर निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को हाफिजपुर चौराहा से आज दिनांक 25.6.21 को समय 8.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

3. टीम तृतीय के उ.नि. विनय कुमार दूबे मय हमराह कर्मचारी द्वारा जिला बदर अभियुक्त दीपक खरवार पुत्र स्व. भोला खरवार निवासी टेढिया मस्जिद थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 25.6.21 को समय 10.25 बजे टेढिया मस्जिद मोहल्ला बाजबहादुर से जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. विनोद कुमार पुत्र हीरालाल साकिन पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदुलारे साकिन पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. विजय कुमार पुत्र रामचन्दर निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़

अभियोग का विवरण-

1. मु.अ.स. 173/20 धारा 420/409 भादवि
2. मु0अ0सं0 77/21 धारा 306 भादवि ,
3. मु0अ0सं 186/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व.उ.नि. ब्रह्मदीन पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़
2. उ.नि. कमल नयन दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़,
3. उ.नि. शिवकुमार कुशवाहा थाना कोतवाली, आजमगढ़।
4. उ0नि0 विनय कुमार दूबे चौकी प्रभारी पहाड़पुर थाना कोतवाली आजमगढ़

3. हे0का0 महेन्द्र यादव
4. का0 सुदीप यादव
5. का0 अरूण कुमार पाण्डेय
6. का0 भानू प्रताप सिंह
7. का0 विकास कुमार

थाना सिधारी

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.6.21 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी द्वारा मु0अ0सं0 139/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम धर्मेन्द्र मौर्य S/0 शिवकुमार मौर्य सा0 कहिनौर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ , अभिमन्यु यादव S/0 रामजीत यादव सा0 बडागाँव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ , प्रदीप कुमार सिंह S/0 सुभाष सिंह सा0 पखईपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ , नीरज कुमार S/0 जीतबहादुर सा0 अहेली किशुनीपुर थाना बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर राजू मौर्या S/0 भानू मौर्या सा0 पलिया थाना रानीपुर जनपद मऊ , रामप्रवेश यादव S/0 उजागीर यादव सा0 रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ , अफरोज उर्फ फिरोज पुत्र अहमद उर्फ अहमद उर्फ अशरफ साकिन गजियापुर थाना मधुबन मऊ , अनंत मौर्या पुत्र रणधीर मौर्य साकिन पलिया थाना रानीपुर जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था तथा अभि0गण गिरफ्तारी हेतु लगातर दबिश दी जा रही थी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व टाप 10 अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त सम्बंधित मु0अ0स0 मु0अ0सं0 139/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट मे अन्दर थाना क्षेत्र मामूर थे कि जरिए मुखवीर सूचना मिली की थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 139/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त रामप्रवेश यादव पुत्र उजागीर यादव सा0 रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ इस समय शाहगढ चौराहे पर मऊ जाने हेतू वाहन सवारी का इन्तजार कर रहा है कि प्रभारी निरीक्षक मुखवीर खास की बात पर विश्वास कर तथा हमराह कर्म0 गण को व मुखवीर खास के शाहगढ चौराहे से कुछ पहले ही उक्त खडे ब्यक्ति के तरफ इ शारा कर देखा कर हट गया पुलिस टीम शाहगढ चौराहे पर पहुच कर खडे ब्यक्ति जो मऊ के तरफ जाने के लिए खडा था पास जा कर उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामप्रवेश यादव पुत्र उजागीर यादव सा0 रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष बताया कि उक्त ब्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 11.30 बजे दिन में हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

1. मु0अ0स0 139/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 151/2019 धारा 272/273/419/420/467/468/471 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामप्रवेश यादव पुत्र उजागीर यादव सा0 रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़
2. नि0अ0 विजय प्रताप सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी आजमगढ़
4. हे0का0 अवधेश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
5. का0 अभिमित तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
6. का0 हरेन्द्र चौहान थाना सिधारी आजमगढ़
7. का0 मनीष कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
8. का0 शिवम सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
9. का0 बबलू अली थाना सिधारी आजमगढ़
10. रि0का0 शुभम तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़

थाना सिधारी

जिला बदर अभियुक्त एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्द कारतूस के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे द्वारा चलाये जा रहे सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व टाप 10 अपराधियो/जिलाबदर अपराधियो की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे उ0नि0 दिग्विजयनाथ तिवारी मय हमराह के आज दिनांक 25. 06.21 को अपराधियो के धड़ पकड़ मे मौजूद थे कि जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि जिला बदर अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव ग्राम पल्हनी (धन्नी की सराय) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ खुलेआम घुम रहा है रामपुर से मुसेपुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से आ रहा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त रामपुर ग्राम से समय 12.15 पर एक अदद अदद तमन्चा व एक अदद जिन्द कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 141/21 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0स0 142/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

- 1- एक अदद तमन्चा .315 बोर
- 2- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 1203/2010 धारा 332/353/504/506/427 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

2. मु0अ0स0 61/17 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि व एससी/एसटी एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
3. मु0अ0स0 328/17 धारा 307/323/504 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
4. मु0अ0स0 341/17 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़
5. मु0अ0स0 214/19 धारा 147/323/452/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
6. मु0अ0स0 47/21 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़
7. मु0अ0स0 141/21 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
8. मु0अ0स0 142/21 धारा 3/25 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव ग्राम पल्हनी (धन्नी की सराय) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 दिग्विजयनाथ तिवार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 3 उ0नि0 जाफर खान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 वंशराज सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
5. हे0का अवधएशसिह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
6. हे0का0 अजीत गौतम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
7. का0 अभिमित तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर , क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराह द्वारा आदेश के क्रम में 01 नफर वारंटी हफीज पुत्र अब्दुल रहमान साकिन खुदादादपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ संबंधित मु0अ0सं0 88/16 धारा 147,148,149,151,152,307,436,452,342,383,353,504,506,332,333,336, 338,427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट एवं 3(2)5 sc/st एक्ट को मा0 न्यायालय द्वारा प्राप्त वारण्ट के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को उसके घर से समय करीब 9.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

हफीज पुत्र अब्दुल रहमान साकिन खुदादादपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

